प्रेस नोट **31/07/2022**

03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 टैम्पू, बैटरी, स्टेपनी व 6830 रुपये बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखंसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे क्रासिंग के पा से दो शातिर व्यक्तियों प्रेमनाथ पासवान पुत्र इन्द्रदेव निवासी अहिलाद थाना सरायलखंसी व गुलाब राम पुत्र बाल किशुन निवासी भार हरिजन बस्ती थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से एक टैम्पू व 6830 रुपये बरामद किया गया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा बताया गया कि–

दिनांक 06.05.2022 को रात्रि में जियो टावर ओन्हाइच के अन्दर से 04 बैटरी चोरी किये थे जिसको मुन्ना कबाड़ी पिपरीडीह के यहां बेच दिये थे, ये वही बिक्री के पैसे है तथा और पैसे खर्च हो गये तथा दिनांक 17.06.2022 को फातिमा गेट के पास से यही टैम्पू (यूपी54टी8978) चोरी किये थे, नम्बर प्लेट बदलकर चलाते थे तथा इसकी बैटरी व स्टेपनी को भी मुन्ना कबाड़ी को बेच दिये थे। तत्पश्चात मुन्ना कबाड़ी की दुकान से उक्त अभियुक्तों द्वारा बेची गयी चोरी की एक अन्य टैंपो व बैटरी, स्टेपनी बरामद कर उक्त मुन्ना कबाड़ी उर्फ मुन्ना ठठेरा पुत्र शिवमंगल निवासी पिपरीडीह थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 429/22 धारा 411,419,420,467,468,471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. प्रेमनाथ पासवान पुत्र इन्द्रदेव निवासी अहिलाद थाना सरायलखंसी।
2. गुलाब राम पुत्र बाल किशुन निवासी भार हरिजन बस्ती थाना सरायलखंसी मऊ।
3. मुन्ना ठठेरा पुत्र शिवमंगल निवासी पिपरीडीह थाना सरायलखंसी मऊ

बरामदगी–

1. चोरी की 02 टैम्पू।
2. चोरी की एक बैटरी व एक स्टेपनी।
3. चोरी की बैटरी बिक्री के 6830 रुपये।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 31.07.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान सलाहाबाद मोड़ के पास से मु0अ0सं0 299/22 धारा 419,420,467,468,471 भादवि में वांछित अभियुक्त अबुल कलाम पुत्र मुस्तफा निवासी महमूदपुरा थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 31.07.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देवीलाल निवासी कमथरी थाना चिरैयाकोट, थाना घोसी पुलिस द्वारा महेश पुत्र मुनेश्वर निवासी हाजीपुर व रोशन पुत्र महेश निवासी नंदवासराय थाना घोसी व थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा प्रभुनाथ पुत्र विश्वनाथ निवासी बड़गांव व रामनक्षत्र पुत्र आकाल निवासी करौत थाना हलधरपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>शांति भंग की आशंका में कुल 35 व्यक्ति गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 31.07.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा हाफिज निवासी किशुनपुरा व जीशान निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली, भिखई यादव निवासी रामपुर चकिया, परवेज निवासी डोमनपुरा, दानिश व आमिर निवासीगण अलीनगर थाना दक्षिणटोला, थाना घोसी पुलिस द्वारा सुभाष चौहान, अजय, इन्द्रजीत, बालजीत, रामअवध, श्रवण व महेन्द्र निवासीगण देईथान थाना घोसी, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा नवीन वर्मा व पवन निवासीगण भीटी, अबूबकस व आकिब निवासीगण अलाउद्दीनपुरा थाना कोतवाली, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा अशोक चौहान, वकील, पृथ्वीराज निवासीगण बकरी, संजय गुप्ता व अंगद निवासीगण धर्मसीपुर थाना रानीपुर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा अफजल निवासी बनपोखरा, पारस व शत्रुधन निवासीगण आदमपुर थाना मधुबन व थाना कोपागंज पुलिस द्वारा रामानंद प्रसाद, संजय भारती निवासीगण बसारथपुर, अरुण राय, बिगेन्द्र राय, आलोक निवासीगण सोंड़सड़, मीरा देवी, रीनू देवी, नीतू, मंजू देवी व धर्मावती निवासीगण बलुवा कुर्थीजाफरपुर थाना कोपागंज मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।